ग्राम पंचायत बुरूआ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.4.14 से 31.3.17

भाग—एक

1 **प्रस्तावनाः—**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बुरूआ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

(i) प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती पुष्पा देवी	1.4.14 से 22.1.2016
2	श्री किशन चन्द	28.6.16 से लगातार

(ii) सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती मधु देवी	1.4.14 से 6.2.16
2	श्री कर्मा छेरिंग	7.2.16 से 13.12.16
3	श्री कर्म चन्द	14.12.16 से 31.3.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत बुरूआ के लेखाओं अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	राशि (लाखों में)
1	4.3	रोकड़ बहियों व बैंक खातों से दिनांक 31.3. 2017 के अन्तशेष में भारी अन्तर	0.23
2	7	पंचायत राजस्व (गृहकर) की वसूली शेष	0.37
3	7.1	मोबाईल टावर शुल्क की वसूली शेष	0.26
4	8	अनुदान का उपयोग न करना	21.86
5	11	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	7.15

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत बुरूआ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी तथा श्री महेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.10.17 (A.N.) से 23.10.17 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः 1/15, 08/15 व 2/17 तथा 09/14, 11/15 व 11/16 मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत बुरूआ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD(211)/2017-126 दिनांक 21.10.17 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बुरूआ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत बुरूआ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदानः– ग्राम पंचायत बुरूआ के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों की **परिशिष्ट–1 (क) से (ख)** में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	1024473.00	1505094	34359	2563926.00	1585416.60	978509.40
2015–16	978509.40	2032415	56221	3067145.40	1409691.00	1657454.40
2016–17	1657454.40	2140074	63690	3861218.40	1016827.16	2844391.24

(ii) मनरेगाः–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014–15	–	259440	543	–	895346	–
2015–16	–	–	–	–	1015486	–
2016–17	–	–	–	–	485510	शून्य

4.1 दिनांक 31.3.17 को पंचायत के विभिन्न बैंक खातों में जमा शेष राशियों का विवरणः–

क्र0सं0	खाता सं0	बैंक	राशि
1	20035003456	के0सी0सी	2477589.00
2	20035003581	के0सी0सी	170612.00
3	6925000100033814	पी0एन0बी0	2110.68
4	88251700050747	एच0जी0बी0	22.00
5	6925000100033805	पी0एन0बी0	1032.00
6	88251700050738	एच0जी0बी0	11.00
7	6925000100033799	पी0एन0बी0	1445.28
8	88251700064607	एच0जी0बी0	15.00
9	6925000100033780	पी0एन0बी0	706.28
10	8825000100064616	एच0जी0बी0	7.00
11	1713000000018313	पी0एन0बी0	शून्य
12	50059723565	के0सी0सी	213097.00
		कुल	**₹2866647.24**

(i)	दिनांक 31.3.17 को बैंक के अनुसार अन्तिम शेष राशि	2866647.24
	जमाः– हस्तगत राशि	(+)558.00

G.P. Burua

		2867205.24
(ii)	दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	(–)2844391.24
(iii)	अन्तर	₹22814.00

4.2 स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विवरणः–

ग्राम पंचायत बुरूआ द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत बुरूआ के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक स्वः स्त्रोत व अनुदानों से प्राप्त आय व व्ययों का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–2 (क से ङ)** में दिया गया है।

4.3 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2017 के अन्तशेष में ₹0.23 लाख का अन्तरः–

ग्राम पंचायत बुरूआ की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.3.2017 के अन्तिम शेष राशियों के ₹22814 का अन्तर है, जिसका विवरण ब्यौरा पैरा 4.1 में दिया गया है। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अवधि	राशि (₹)
1	10.4.14 से 22.4.14	1777
2	1.11.14 से 25.11.14	1217
3	18.8.15 से 26.9.15	1377
4	1.10.15 से 13.10.15	2004
5	1.6.16	2833
6	9.2.17 से 22.2.17	1351
7	9.3.17 से 26.3.17	2033

6 बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार न करके कार्यवाही रजिस्टर में ही बनाया गया था। अतः बजट प्राक्कलनों को फार्म–11 में तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व (गृहकर) ₹0.37 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की गृहकर से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक गृहकर ₹36685 की वसूली शेष थीः– **(परिशिष्ट–3)**

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष
2014–15	20205	19550	39755	2950	36805
2015–16	36805	19550	56355	35470	20885
2016–17	20885	19550	40435	3750	36685

अतः उपरोक्त गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

G.P. Burua

7.1 मोबाईल टावर शुल्क के रूप में ₹0.26 लाख की वसूली शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था जिस कारण दिनांक 1.4.14 तक की टावर शुल्क की बकाया राशि की गणना सम्भव नहीं थी। सचिव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज पत्र संख्या पी0सी0एच/एच ए/8/99 दिनांक 9.11.06 द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावर से ₹4000 स्थापना शुल्क व ₹2000 हर साल नवीनीकरण शुल्क लेने का प्रावधान है तथा 5 वर्ष बाद 25**%** की बढ़ौतरी का प्रावधान है। अंकेक्षण अवधि 2014–15 से 2016–17 तक कुल टावर शुल्क ₹37500 में से पंचायत द्वारा ₹11200 की वसूली की गई थी, **(परिशिष्ट–3)** जबकि ₹26300 की वसूली शेष थी। अतः मोबाईल टावर शुल्क रजिस्टर का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित करके दिनांक 1.4.14 को वसूली हेतु राशि की गणना करके दिनांक 31.3.17 तक कुल बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

8 अनुदान ₹21.86 लाख का उपयोग न करनाः–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट "4"** के अनुसार दिनांक 31.3.17 को ₹2186001 अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान की उक्त बकाया राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

G.P. Burua

8.1 दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अन्तिम शेष व अनुदानों की शेष राशियों में ₹6.58 लाख के अन्तर बारेः–

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.17 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष व अनुदानों की शेष राशियों में ₹658390.24 का अन्तर है। अतः रोकड़ बहियों में दर्ज उक्त राशि किस–2 मद (Head) की है, की गणना करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

		राशि
(i)	दिनांक 31.3.17 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	2844391.24
(ii)	दिनांक 31.3.17 को अनुदानों की शेष राशियाँ **(परिशिष्ट–4)**	2186001.00
(iii)	अन्तर	658390.24

9 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध न होने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत में निम्नविवरणानुसार प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निम्न कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति व प्राक्कलन आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए।

क्र0सं0	**अनुदान**	**कार्य का नाम**	**व्यय माह**	**माह के दौरान व्यय राशि (₹)**
1	13th FC	निर्माण खाता रोड ओल की बेहड़ से टेकराम के घर तक	11/15	33010
2	LADA	निर्माण खाता सड़क सोगड़ा गोह टेक राम के घर से दिले राम के घर तक	9/14	25100
3	13th FC	निर्माण खाता सड़क उझली बेहड़	11/15	79465
4	SDP	निर्माण खाता कूहल गाँव बुरूआ	11/16	109728

G.P. Burua

10 चारा वितरण रजिस्टर को पूर्ण न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि में IWMP-II की रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 30 दिनांक 12.11.15 की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा खाता आजीवन वर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बिल संख्या 15789 दिनांक 11.10.15 द्वारा M/S Neeraj Provision Store Manali से 52 बैग चारे (Feed bags) के ₹40010 में क्रय करके स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 23 में दर्ज करके लाभार्थी किसानों को वितरित किए गए। वितरण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि जिन लाभार्थी किसानों को चारा बैग वितरित किए गए दर्शाए गए है। उन किसानों के हस्ताक्षर वितरण रजिस्टर में प्राप्त नहीं किए गए थे व न ही पंचायत प्रधान से वितरण रजिस्टर को सत्यापित करवाया गया था। अतः जिन लाभार्थी किसानों को चारा बैग वितरित किए गए है। उनसे वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें प्राप्त करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹7.15 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–5** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹714975 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक

G.P. Burua

है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register
2	Temporary Advance Register
3	Bill Register
4	Staionery Register
5	Mobile Tower annual fees Register
6	Work Register

13 क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार प्रत्येक क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। अंकेक्षण अवधि के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी। अतः निम्न सामानों को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय स्टॉक/स्टोर की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	अनुदान	बिल सं0	फार्म का नाम	वस्तु	राशि (₹)
1	Panchayat Nidhi	1619/3.9.14	M/S Atul Book Shop, Manali	Stationary	1309
2	LADA	6051/7.10.14	M/S Dubey Trader"s Manali	Steel	15560
3	Panchayat Nidhi	019/शून्य	M/S Rana Welding Works	Iron Griil	7865
4	DPO	091/30.9.16	M/S Karman Govt. Contrator, Kullu	Sand & Aggergate	10532
5	Panchayat Nidhi	355/22.11.16	M/S Atul Book Shop, Manali	Stationary	1000
				कुल	₹36266

G.P. Burua

14 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 लघु आपत्ति विवरणिकाः— यह अलग से जारी नहीं की गई।

16 निष्कर्षः— पंचायत के लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(3) 22 / 2017—खण्ड—1—2780—2783 दिनाँक 23.04.2018 शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नग्गर जिला कुल्लू, हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत बुरूआ, विकास खण्ड नग्गर, जिला कुल्लू, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
फोन नं0 0177—2620881

G.P. Burua